

प्ररूप
आकवि 7

भारतीय आयकर विवरणी
(जिसमें सीमांत फायदे कर विवरणी भी है)
धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने
के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए जिनमें कंपनियां भी सम्मिलित हैं ।
[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]
(संबद्ध अनुदेश भी देखें)

निर्धारण वर्ष-
2008-09

भाग-क
साधारण

1. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)
2. नाम (जैसा सृजन/गठन/निगमन/विरचना विलेख में वर्णित है)
3. पता
(फ्लैट सं0/ द्वार/मकान सं0,/ परिसर,
मार्ग, अवस्थान)
- पिन टेलीफोन
- फैक्स, यदि कोई हो
4. गठन की तारीख (दिन-मास-वर्ष) - - 5. प्रास्थिति (कृपया
अनुदेश देखिए)
6. ई- मेल आई डी:
7. क्या पते में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ नहीं
8. धारा 12क(क) के अधीन और - -
रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख
9. यदि धारा 10 के अधीन छूट का दावा किया हो :
(i) खंड और उपखंड दर्शाएं
(ii) अधिसूचना/अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो - -
(iii) वैधता की अवधि - - से - -

10. क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कर के लिए दायी हैं? हाँ नहीं

11. वार्ड /सर्किल/रेंज

12. निर्धारण वर्ष -

13. निवासीय प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखिए)

14. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना वार्ड / सर्किल/ रेंज बताएं

15. वह धारा जिसके अधीन यह विवरणी फाइल की जा रही है आय की विवरणी सीमांत फायदों की विवरणी
(कृपया अनुदेश देखिए)

16. विवरणी मूल है या संशोधित

यदि संशोधित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख । और -

17. क्या यह आपकी पहली विवरणी है? हाँ नहीं

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

अभिस्वीकृति
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
पावती सं०.

तारीख

.....

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर
और मुद्रा

भाग ख
(क) कुल आय की संगणना

18. गृह संपत्ति - आय [अनुसूची- (च-1क)]	000	
19.(i) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (च-1ख)]	000	
(ii) उपरोक्त(i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (ख-26(ii))]	000	
20. पूंजी अभिलाभ		
(क) अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) [(अनुसूची च-1ग(i))]	000	
(ख) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची च-1ग(ii))]	000	
(ग) दीर्घकालिक [(अनुसूची च-1ग(iii))]	000	
21. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची च-1घ)]	000	
22. धारा 11 के अधीन समझी गई आय [(अनुसूची च-4(iv))]	000	
23. कुल [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]	000	
24. घटाएं : आय पर छूट [(अनुसूची च 3(viii))]	000	
25. धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [(अनुसूची -ख (34))]	000	
26. कुल आय [(23)-(24)+(25)]	000	
शब्दों में		

(ख) कुल आय पर करों की विवरणी

27. शुद्ध कृषि आय [(अनुसूची च-9)]	000	
28. कुल आय पर कर [(अनुसूची छ-2)]	000	
29. धारा 88ड के अधीन रिबेट [अनुसूची 7 (iii)]	000	
30. अधिभार [(अनुसूची छ-9)]	000	
31. शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	000	

उपकर भी है [(अनुसूची छ-11]		
32. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-12]	000	
33. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर [(अनुसूची छ-16ख]	000	
34. संदत्त अग्रिम कर [(अनुसूची छ-16क]	000	
35. संदत्त स्वतः निर्धारण कर [(अनुसूची छ-16ग]	000	
36. संदेय अतिशेष कर[(32)-(33)-(34)-(35)]	000	
37. धारा 234क/234ख/234ग के अधीन संदेय ब्याज [(अनुसूची छ-13]	000	
38. संदेय कर और ब्याज [(अनुसूची छ-18]	000	
39. शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो [(अनुसूची छ-19]	000	

भाग -ग

सीमांत फायदों की संगणना और उस पर कर (यदि लागू हो)

1. पहली तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
2. दूसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
3. तीसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
4. चौथी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
5. कुल सीमांत फायदों का मूल्य (अनुसूची- ड)	0000	
6. संदेय सीमांत फायदा कर [(5) का 30%]	0000	
7. (6) पर अधिभार	0000	
8. [(6)+(7)] पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	0000	
9. संदेय कुल सीमांत फायदा कर [(6)+(7)+(8)]	0000	
10. संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर (अनुसूची -ढ)	0000	
11. संदेय अतिशेष कर [(9)-(10)]	0000	

12. धारा 115बज के अधीन ब्याज	0000	
13. धारा 115बट के अधीन ब्याज	0000	
14. संदत्त स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची - ण)	0000	
15. संदेय/प्रतिदेय अतिशेष कर [(11)+(12)+(13)-(14)]	0000	

संलग्न दस्तावेजों/विवरणियों की संख्या

	वर्णन	अंकों में	शब्दों में		वर्णन	अंकों में	शब्दों में
क.	स्रोत पर काटा गया कर प्रमाणपत्र			च.	धारा 11(1) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए आवेदन		
ख.	प्ररूप सं० 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			छ.	प्ररूप 10घख/10घग		
ग.	प्ररूप सं० 10खख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ज.	आय/व्यय लेखा और तुलन पत्र		
घ.	धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट			झ.	अन्य		
ड.	धारा 11(2) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्ररूप सं० 10						

सत्यापन

मैं,.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष.....से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रभार्य आय/अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान.....

.....
नाम और हस्ताक्षर

11. अतिशेष [(8)-(10)]
12. धारा 25क/और या 25कक के अधीन वर्ष में प्राप्त किया गया अप्राप्त किराया
13. (क) धारा 25ख के अधीन वर्ष में प्राप्त किराए के बकाए की रकम
- (ख) घटाएं : धारा 25ख के अधीन अनुज्ञेय कटौती (प्राप्त बकाए किराए का 30%)
14. धारा 25ख के अधीन प्रभार्य आय [13(क)-13(ख)]
15. अतिशेष [(11)+(12)+(14)]
16. 15 का योग (एक से अधिक संपत्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए)
17. "गृह संपत्ति से आय" (16) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय

अनुसूची ख : कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ

(I) साधारण

1. कारबार या वृत्ति की प्रकृति : विनिर्माण व्यापार
 विनिर्माण-सह-व्यापार सेवाएं वृत्ति अन्य
2. शाखाओं की संख्या पूरे पता/पते के साथ सूची संलग्न करें

3. लेखा पद्धति वाणिज्यिक नकद
4. क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं
5. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए

6. स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति.....
7. क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं

8. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए.....
9. क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे का अनुरक्षण करने के लिए दायी हैं? हां नहीं
10. क्या आप धारा 44ख(क)/(ख) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां नहीं
11. क्या आप धारा 44 कघ/44कड/44कच के साथ पठित धारा 44कख(ग) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां नहीं
12. यदि 'मद 10 या मद 11' का उत्तर हां है तो क्या आपने विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे संपरीक्षित कराए हैं ? हां नहीं
13. यदि हां, तो क्या संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? हां नहीं

यदि हां, तो रसीद सं०और उसको फाइल करने की तारीख दीजिए (प्रति भी संलग्न करें)

(II) सट्टे वाले कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

(यदि आप एक से अधिक कारबार या वृत्ति रखते हैं और पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं तो प्रत्येक ऐसे कारबार या वृत्ति के लिए संगणना देते हुए पृथक पन्ना (पन्ने) संलग्न करें और विभिन्न मदों के सामने संकलित अंक दर्शाएं)

14. समेकित लाभ और हानि लेखे के अनुसार शुद्ध लाभ या हानि

15. जोड़ें : लेखे की पद्धति और/या स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण समायोजन

धारा 44कघ/44कड/44कच के अंतर्गत आय वाले निर्धारितियों के लिए :--

16 (i) जोड़ें/घटाएं- कारबार(कारबारों) की लाभ/हानि, जिसमें (जिनमें) नीचे दर्शायी गई धारा के अधीन मद 14 में, यदि उपरोक्त किसी मद 9, 11, 12 या 13 का उत्तर 'नहीं' है, सम्मिलित है।

(क). धारा 44कघ के लिए

(ख). धारा 44कड के लिए

(ग). धारा 44कच के लिए

योग

(ii) यदि आप धारा 44कघ में वर्णित सिविल सन्निर्माण के कारबार या सिविल सन्निर्माण के लिए श्रम प्रदाय में लगे थे :

(क). सकल प्राप्तियां

(ख). सकल प्राप्ति की 8% की दर से शुद्ध लाभ

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(क) और (ii)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो

(iii) यदि आप दस माल वाहनों से अनधिक के स्वामी थे और धारा 44कड में वर्णित ऐसे वाहनों के चलाने, भाड़े या पट्टे पर लेने के कारबार में लगे थे :

	यानों/वाहनों की सं०	महीनों की सं० जिसके दौरान वे स्वामित्व में थे	धारा 44कड के अधीन समझा गया लाभ
(क) भारी माल यान			
(ख) अन्य माल वाहन		योग	

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो और धारा 44कड के अधीन उपरोक्त समझे गए लाभ के रूप में अवधारित रकम

(III) सट्टे के कारबार से आय की संगणना

27. सट्टे से लाभ/हानि	000	<input type="text"/>
28. जोड़ें/घटाएं : शुद्ध कानूनी समायोजन	000	<input type="text"/>
29. सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ	000	<input type="text"/>
30. घटाएं : अग्रणीत सट्टा हानि, यदि कोई हो	000	<input type="text"/>
31. सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ और अभिलाभ	000	<input type="text"/>
32. लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [26(i)+(31)] (मद 31 में ऋणात्मक अंक पर विचार न किया जाए)	599	<input type="text"/>

(IV) धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना

33. उपक्रम के कारबार लेखे में यथादर्शित आय [निर्देश धारा 11(4)]	000	<input type="text"/>
34. धारा 11(4)(32)-(33) के अधीन कर प्रभार्य आय	000	<input type="text"/>

अनुसूची ग : पूंजी अभिलाभ

एक से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में पृथक पन्ने विवरणी के साथ प्रयुक्त और संलग्न किए जा सकेंगे। संकलित अंक मद सं0 12 के सामने दर्शाए जा सकेंगे।

क. अल्पकालिक आस्ति

1. पन्नों की संख्या 000 (केवल एक से अधिक आस्ति की दशा में)

ख. दीर्घकालिक आस्ति

000

2. अंतरित की गई आस्ति की विशिष्टियां	000	<input type="text"/>	000	<input type="text"/>
3. अर्जन की तारीख (दिन-माह-वर्ष)	000	<input type="text"/>	0000	<input type="text"/>
4. अंतरण की तारीख (दिन-माह-वर्ष)	000	<input type="text"/>	0000	<input type="text"/>
5. अंतरण की रीति	000	<input type="text"/>	000	<input type="text"/>
6. प्रोद्भूत या प्राप्त पूर्ण मूल्य प्रतिफल	000	<input type="text"/>	000	<input type="text"/>

(ड) अन्य	000	<input type="text"/>
2. उपरोक्त 1 का योग	000	<input type="text"/>
3. धारा 57 के अधीन कटौतियां		
(क) अवक्षयण		<input type="text"/>
(ख)		<input type="text"/>
(ग)		<input type="text"/>
4. उपरोक्त 3 का योग	000	<input type="text"/>
5. अतिशेष [(2)-(4)]	000	<input type="text"/>
6. (क) घुड़दौड़ों के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से आय	000	<input type="text"/>
(ख) धारा 57 के अधीन कटौतियां	000	<input type="text"/>
7. दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व या उनके रखरखाव से अतिशेष आय [6(क)-6(ख)]	000	<input type="text"/>
8. लाटरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ों, आदि से जीतना (धारा 115ख देखिए)	000	<input type="text"/>
9. “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(5)+(7)+(8)]	000	<input type="text"/>

[मद 7 में ऋणात्मक अंक, यदि कोई हो तो यहां पर विचार न किया जाए]

अनुसूची ड : धारा 71 के अधीन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के विवरण

यह अनुसूची केवल तभी भरें यदि किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध मुजरे के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से हानि होती है,
अन्यथा लागू नहीं लिखें

1. गृह संपत्ति से उद्भूत हानि की रकम [मद क-17 देखिए]	0000	<input type="text"/>
2. कारबार से हानि की रकम (सट्टे से हानि को छोड़कर) [मद ख-26 देखिए]	0000	<input type="text"/>
3. अन्य स्रोतों से हानि की रकम (घुड़दौड़ों से हानि को छोड़कर) [मद घ-5 देखिए]	0000	<input type="text"/>

6. धारा 115अकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(4)-(5)] 000
7. धारा 88ड के अधीन रिबेट
- (i) प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ पर कर [अनुसूची ख की मद 26(ii)] 000
- (ii) संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम (प्ररूप 10घख/10घग संलग्न करें) ; 000
- (iii) धारा 88ड के अधीन रिबेट [उपरोक्त (i)/(ii) के नीचे] 000
8. धारा 88ड के अधीन कर में से रिबेट घटाएं [(6)-(7)(iii)] 000
9. अधिभार [उपरोक्त (8) पर] 000
10. कर +अधिभार [(8)+(9)] 000
11. शिक्षा उपकर [उपरोक्त (10) पर] 000
12. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(10)+(11)] 000
13. निम्नलिखित के लिए ब्याज जोड़ें :
- (क) धारा 234क के अधीन विवरणी विलंब से फाइल करने पर 000
- (ख) धारा 234ख के अधीन अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम पर 000
- (ग) धारा 234ग के अधीन अग्रिम कर के आस्थगन पर 000
14. उपरोक्त मद 9 का योग 000
15. संदेय कर और ब्याज का योग [(12)+(13)] 000
16. पूर्व संदत्त कर
- क. अग्रिम कर

5. पूर्त या धार्मिक या शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों/क्रियाकलापों की प्रकृति का विवरण दीजिए

6. क्या आप धन-कर के लिए निर्धारित हैं ?

हां नहीं

(यदि हां, तो इस विवरणी के साथ धन-कर विवरणी फाइल करें)

अनुसूची झ- धारा 11(2) के अर्थान्तर्गत पिछले ग्यारह वर्ष में अर्थात् चालू निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष और दस पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में संचित/पृथक की गई रकमों का ब्यौरा

संचयन का वर्ष	संचित रकम	क्या धारा 11(5) के उपबंधों के अनुसार विनिधान की गई है	संचयन का प्रयोजन	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम	उपयोजन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थान्तर्गत समझी गई आय की रकम

अनुसूची ज- धारा 115जख के अधीन खाता लाभ

1. पूर्व सुसंगत वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में यथादर्शित शुद्ध लाभ-धारा 115जख(2)
2. समायोजन (यदि कोई हो)-धारा 115जख(2)के पहले और दूसरे परंतुक द्वारा
3. समायोजन -धारा 115जख(2) के स्पष्टीकरण द्वारा

मद की प्रकृति	जोड़ें	घटाएं

4. कुल समायोजन [(2)+(3)]
5. अतिशेष खाता लाभ [(1)+(4)]
6. खाता लाभ का 10%

अनुसूची जक : धारा 115जकक के अधीन जमा कर

क्रम सं.	मद	निर्धारण वर्ष 2006-07	निर्धारण वर्ष 2007-08
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	धारा 115जख के अधीन कर		
2.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर		
3.	115जख के अधीन अधिक कर		
		[1(iii)-2(iii) यदि 1(iii) 2(iii) से अधिक है]	[1(iv)-2(iv) यदि 1(iv) 2(iv) से अधिक है]
4.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिक कर		
			[2(iv)-1(iv) यदि 2(iv) 1(iv) से अधिक है]
5.	धारा 115जक के अधीन जमा कर 3(iii) और 4(viii) से अन्यून		

**अनुसूची ट- न्यास या संस्था की सभी निधियों के, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन थी,
विनिधान को दर्शाते हुए विवरणी**

भाग क- धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/निक्षेपों के ब्यौरे (पृथक पन्ने पर दिए जा सकेंगे यदि जगह समुचित नहीं है)

भाग ख- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान [उस संबंध में जिसमें धारा 13(3) में किसी सारवान हित को रखने वाले व्यक्ति निर्दिष्ट हैं]

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो शेयरों की सं० और वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ 4 की रकम पूर्ववर्ष के दौरान संबद्ध की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक है- हां/नहीं लिखें
1	2	3	4	5	6
		योग			

भाग ग- अन्य विनिधान, जैसे पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के अंतिम दिन थे

क्र0सं0	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान की सं0 और अभिहित मूल्य
1	2	3	4

अनुसूची ठ - संस्था के न्यास के कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों)/न्यासी(न्यासियों)/प्रबंधक(प्रबंधकों), आदि के संबंध में विशिष्टियों की विवरणी

- कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का(के) नाम और पता (पते), यदि जीवित है(हैं)
- वह तारीख जिसको न्यास सृजित किया गया था या संस्था स्थापित की गई थी या कंपनी निगमित की गई थी
- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान उस(उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का(के) नाम जो न्यासी/प्रबंधक था (थे)
- उस व्यक्ति का (उन व्यक्तियों के) नाम जिसने/जिन्होंने धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में सारवान अभिदाय किया है ।
- नातेदार का (नातेदारों के), कर्ता का (कर्ताओं के) संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) का(के) नाम और सारवान अभिदाय (अभिदायों) और जहां कोई ऐसा कर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का है तो कुटुम्ब के सदस्यों और उनके नातेदारों के नाम भी दीजिए

अनुसूची ठक (राजनैतिक दल के मामले में)

- क्या लेखा पुस्तक रखी जाती है ? हां नहीं
- क्या बीस हजार रुपए से अधिक प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख रखा जाता है (व्यक्ति का नाम और पता जिसने ऐसा अभिदाय किया है हां नहीं
- क्या लेखा की संपरीक्षा की जाती है, यदि हां, तो संपरीक्षा की तारीख हां नहीं
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा(3) के अधीन रिपोर्ट जमा की गई है हां नहीं

अनुसूची ड : सीमांत फायदों का मूल्य (यदि लागू हो)

व्यय की प्रकृति (i)	व्यय की रकम/मूल्य (ii)	प्रतिशत (iii)	सीमांत फायदे का मूल्य (iv)=(ii)x (iii) ÷ 100
1. कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या निर्गत साधारण शेयर [धारा 115बख (1)(घ)] [कर्मचारी से वसूल की गई या उसके द्वारा संदत्त रकम और विनिहित तारीख को उचित बाजार मूल्य के बीच का अंतर] और कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राइवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदत्त या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी)	<input type="text"/>	100	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
2. कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में किया गया अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक हों)	<input type="text"/>	100	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
3. मनोरंजन	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4.(क) (4ख), (4ग) औप (4घ) में निर्दिष्ट कारबार से अन्यथा कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4(ख) होटल कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4(ग) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वाहक के कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4(घ) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वाहक के कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>

9 (घ) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वाहक का कारबार होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग । 5

9 (ङ) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वाहक का कारबार होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग । 5

10 (क) मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम । 20

10 (ख) मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम । 5

11. वायुयान द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम । 20

12. पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है) उपयोग । 20

13. प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुरक्षण । 20

14. उत्सव समारोह । 50

15. स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग । 50 0000
16. किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग । 50 0000
17. दान । 50 0000
18. छात्रवृत्तियां । 50 0000
19. दौरा और यात्राएं (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं) 5 0000
20. सीमांत फायदों का मूल्य । [स्तंभ (iv) का योग] 0000

21.(क) क्या आप भारत में और बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें

 0000

(ख) यदि हां, तो क्या आप भारत और विदेश के प्रचालनों के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें

 0000

22. यदि कर्मचारी भारत से बाहर नहीं, सीमांत फायदों का मूल्य

 0000

23. यदि कुछ कर्मचारी भारत से बाहर हैं और भारतीय विदेश प्रचालन के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित की जाएंगी (ऐसी लेखा पुस्तकों के आधार पर अंकों में (1-19) के आधार पर भरी जाएंगी), सीमांत फायदों का मूल्य

 0000

(i) भारत में कर्मचारियों की संख्या

0000

(ii) भारत में और भारत से बाहर, दोनों कर्मचारियों की कुल संख्या

0000 (iii) कर योग्य सीमांत फायदों का मूल्य
(स्तंभ 20 X स्तंभ 23(ग)(i)÷स्तंभ
23(ग)(ii))0000 **अनुसूची - ढ- अग्रिम अनुषंगी फायदा कर (यदि लागू हो)**

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (₹)

किस्त की तारीख	पहली तिमाही के लिए	दूसरी तिमाही के लिए	तीसरी तिमाही के लिए	चौथी तिमाही के लिए
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
रकम				

कुल संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर

 0000 **अनुसूची ण- स्वतःनिर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर (यदि लागू हो)**

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (₹)

कुल स्वतः निर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर

 0000